सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2015-2016

भारत सरकार

Government of India

Ministry of Law And Justice

विधि और न्याय मंत्रालय

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और मंत्रालय का संगठन	(i)-(iii)
2.	अध्याय - 1	विधि कार्य विभाग	1-56
3.	अध्याय - 2	विधायी विभाग	57-93
4.	अध्याय - 3	न्याय विभाग	94-123
5.	उपाबंध - I	विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट	124
6.	उपाबंध - II	विधि कार्य विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	125-126
7.	उपाबंध - III	शाखा सचिवालय कोलकाता द्वारा अधिवक्ताओं को दी गई व्यावसायिक फीस की राशि का विवरण	127
8.	उपाबंध - IV	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्वसैनिकों/ शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	128-132
9.	उपाबंध - V	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	133
10.	उपाबंध - VI	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	134
11.	उपाबंध - VII	विधायी विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	135
12.	उपाबंध - VIII	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्वसैनिकों/ शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	136
13.	उपाबंध - IX	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	137
14.	उपाबंध - X	न्याय विभाग का संगठन चार्ट	138

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया। इस प्राधिकारी के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारतीय विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि एवं न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग शामिल हैं। जहां तक कि न्याय विभाग का प्रश्न है, एक पृथक अध्याय (अध्याय ।।।) में सम्पूर्ण विवरण दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को परामर्श देने का कार्य करता है जबकि विधायी विभाग केंद्र सरकार के लिए मुख्य विधान के प्रारूपण से संबंधित है।

मिशन

सरकार को एक दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनाना;

विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार करना;

विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर-मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और एक दृढ़ व्यावसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुकदमों की भारी तादाद (3.3 करोड़), उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति सुव्यवस्थित प्रवाह व विरोध के प्रबंधन के लिए और विधि का शासन लागू करने में और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाह/राय देकर और विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई-शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।

- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात अधिवक्ता अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

अध्याय-1
विधि कार्य विभाग

1 कृत्य और संगठन

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य-मदों का आबंटन किया गया है :-

1. विधिक मामलों में मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण-लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उन मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना ।
2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है ।
3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना ।
4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण-पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में निर्वसीयत मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध ।
5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं के निष्पादन और संपत्ति के हस्तांतरण-पत्रों के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध किए गए वादों में वाद - पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना ।
6. भारतीय विधि सेवा ।
7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना ।
8. विधि आयोग ।
9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति ।

10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति; भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश ।
11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन ।
12. आयकर अपीलीय अधिकरण ।
13. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण ।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया है:-

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961
(ख) नोटरी अधिनियम, 1952
(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001;
(घ) राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005

1.2. यह विभाग विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय कर अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है । यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है । इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्तियों से भी जुड़ा है । विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को प्रोत्साहन देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान और भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान देता है ।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय । कार्य की प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है- सलाह कार्य और मुकदमा कार्य । विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट **उपाबंध-1** में दिया गया है ।

(1) मुख्य सचिवालय :

(i) मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं । विधिक सलाह देने और हस्तांतरण-लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों

के समूहों में विभाजित किया गया है । सामान्यत:, प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं ।

(ii) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा-कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक अपर सचिव हैं ।

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं ।

(iv) दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं ।

(v) विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है । यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है । इस प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 से संबंधित कार्य और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है ।

(vi) संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक-एक पद क्रमश: रेलवे बोर्ड और दूर-संचार विभाग में है और इन पदों के धारक उक्त कार्यालयों में ही बैठते हैं । संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक पद लोक उद्यम विभाग के लिए भी स्वीकृत है और पदधारी उक्त विभाग में माध्यस्थम् के स्थायी तंत्र की स्कीम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थ के तौर पर कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है । इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, एस.एफ.आई.ओ.,एन.टी.आर.ओ., केंद्रीय जांच ब्यूरो और पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि अपर विधि सलाहकार, उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार भी हैं ।

(2) भारतीय विधि सेवा का सृजन

समाज के विकास के साथ-साथ विधि व्यवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है । समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए गए हैं । सरकार की आवश्यकताओं को गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा

(वर्तमान भारतीय विधि सेवा की पूर्ववर्ती सेवा) का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन विधि और न्याय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सृजन किया। ये नियम दिनांक 1 अक्तूबर, 1957 से लागू हुए हैं। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को महत्वपूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों और अध्यादेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राज्यों को राज्यपाल, संसद को महासचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश और विभिन्न अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को न्यायिक अधिकारी दिए हैं।

(3) भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारतीय विधि सेवा के अधिकारी अपने कार्य में कभी पीछे नहीं रहे हैं । भारत सरकार के प्रधान विधिक अंग होने के नाते उन्होंने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है । डिजिटल क्रांति ने सूचना की अर्थव्यवस्था की शुरुआत की है तथा संपदा सृजन के नए क्षेत्रों को बल प्रदान किया है । हमारा विधिक ढांचा सूचना की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, इसके लिए उसकी जांच करना आवश्यक हो गया है। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं ।

वे हमारे संवैधानिक आधारों को सुदृढ़ बनाने, उनमें विस्तार करने और उन्हें धूप-पानी से बचाने में काम आने वाले पत्थरों को तराशने की भूमिका निभाते हैं। निश्चय ही, वे सभी हमारे पवित्र और भव्य संवैधानिक भवन के कुशल शिल्पी हैं।

3. सलाह 'क' अनुभाग

दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक सलाह और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 4518 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए। इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया । इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया ।

(2) विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की ।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त हुए सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित 80 मामलों पर भी कार्रवाई की गई ।

(4) हस्तांतरण-लेखन से संबंधित 212 निर्देशों पर भी कार्रवाई की गई । इनमें कई मामले अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित थे ।

(5) उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए 95 नोट और 66 निर्देश विधिक और संवैधानिक दृष्टि से जांच के लिए प्राप्त हुए ।

4. सलाह 'ख' अनुभाग

दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, इस अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 4232 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए। उन पर इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई राय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया ।

(2) विधिक सलाह देने के अलावा इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की ।

(3) सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित संसद प्रश्नों और आश्वासनों से संबंधित 153 मामलों पर भी कार्रवाई की गई ।

(4) उपर्युक्त अवधि के दौरान, विधिक तथा संवैधानिक दृष्टि से समीक्षा किए जाने के लिए 122 मंत्रिमंडल-नोट, एस.एल.पी./एजी/एसजी/एएसजी की राय से संबंधित 886 मामले प्राप्त हुए।

5. सलाह 'ग' अनुभाग

रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर 23 नए मामले भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की राय के लिए भेजे गए । सभी मामलों पर उनकी राय प्राप्त हुई और प्राप्त राय को माननीय विधि और न्याय मंत्री और विधि सचिव के अनुमोदन के बाद भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया ।

(2) इस अनुभाग ने 627 विभिन्न विषयों पर पूर्व निर्णयों को ढूंढने और अन्य कार्यों में विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों को साधारण तथा सचिवीय सहायता भी प्रदान की ।

(3) इस अवधि के दौरान, इस अनुभाग में वर्ष 1998 से 2015 तक की विधि अधिकारियों की राय वाली फाइलों (कुल 700) को स्कैन किया गया तथा वर्ष 1950 से 2015 तक की अवधि की अनुक्रमणिका को स्कैन किया गया ।

6. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी । यह अनुभाग केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् महालेखाकार के कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है । उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से सभी विशेष अनुमति याचिकाएं/सिविल अपीलें, उन्हें फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं । इस समय इस कार्यालय का कार्य एक अपर सचिव देखते हैं, जिन्हें कार्यालय का प्रभारी घोषित किया गया है और विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई हैं । उनकी सहायता के लिए नियमित आधार पर 5 सरकारी अभिलेख अधिवक्ता, कांट्रैक्ट आधार पर 4 अभिलेख अधिवक्ता और अन्य राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी और समूह 'घ' के कर्मचारी हैं। यहां विधि अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहायता के लिए लगभग 500 सरकारी पैनल काउंसेल हैं । केंद्रीय अभिकरण अनुभाग उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली में स्थित है। वित्त वर्ष 2015-16 में इसके लिए कुल 33.96 करोड़ रु0 का बजट आबंटन किया गया है।

(2) केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के क्रियाकलाप निम्नलिखित से संबंधित हैं: -

- भाारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और अपर महॉसालिसिटरों की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त निर्देश ।
- विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों /पैनल काउंसेलों को नियोजित करना।
- भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण ।

- रिकार्ड, प्राप्ति तथा निर्गम अनुभाग, फीस बिल यूनिट, पर्सनल डिपाजिट यूनिट, कंप्यूटर प्रकोष्ठ और प्रशासन प्रभाग का, जिसके अंतर्गत रोकड़ अनुभाग भी शामिल है, पर्यवेक्षण करना ।

(3) केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के सरकारी अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के अभिलेख - अधिवक्ता हैं । ये अधिवक्ता भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं ।

(4) केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत अभिलेख के अनुसार, वर्ष 2015 के दौरान, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 3887 नए मामले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्रों से 427 मामले प्राप्त हुए, जिनमें भारत संघ या संघ राज्य क्षेत्र या तो याचिकाकर्ता हैं या प्रत्यर्थी हैं। अधिकतर मुकदमे वित्त मंत्रालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, रेलवे, रक्षा, केंद्रीय जांच ब्यूरो आदि से संबंधित हैं ।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा-कार्य

भारत सरकार के रेल और आय-कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। मुकदमा कार्य की देखरेख एक भारसाधक अधिकारी द्वारा अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारिवृंद की सहायता से की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे मुख्यत: निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, विविध सिविल आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक आवेदन ।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यत: निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:-

बी0आई0एफ0आर0, ए0ए0आई0एफ0आर0, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, कंपनी लॉ बोर्ड, अवैध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, टी.डी.एस.ए.टी., केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम ।

(2) मुकदमा कार्य दो अनुभागों - मुकदमा (उ0न्या0) अनुभाग 'ए' और 'बी' द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण् अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है । अनुभाग 'ए' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है । अनुभाग 'बी' माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गई रिट याचिकाओं और मूल/पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है । यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1 (ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों/अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है ।

(3) केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा-सालिसिटर, नौ स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसेल,ज्येष्ठ काउंसेलों और सरकारी प्लीडरों के पैनल हैं। सार्वजनिक महत्व के और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा-सालिसिटर/भारत के अपर महा-सालिसिटर को नियोजित किया जाता है । दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और काउंसेलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। उप विधि सलाहकार और अन्य अधिकारी मामलों की प्रगति के प्रत्येक प्रक्रम पर कड़ी निगरानी रखते हैं ।

(4) वित्त वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान में इस एकक को 6 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे । रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विधि अधिकारियों और सरकारी काउंसेलों के वृत्तिक फीस के लगभग 7500 बिल संदाय के लिए प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2016 तक 2500 फ़ीस बिल और प्राप्त होने की संभावना है । दिसम्बर, 2015 के अंत तक, 4.55 करोड़ रुपये के लगभग 6500 फीस बिल निपटाए गए हैं और संबंधित विधि अधिकारियों और काउंसेलों को उनका भुगतान किया गया है।

(5) दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए 3758 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसेल नियोजित किए । मामलों की प्राप्ति और सरकारी काउंसेलों के नियोजन का अनुभागवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

मुकदमा उच्च न्यायालय अनुभाग

अनुभाग	1.4.2015 से 31.12.2015 तक प्राप्त मामलों की संख्या	01.01.2016 से 31.3.2016 तक प्रत्याशित मामले	योग
ए	3204	800	4004
बी	554	130	684
कुल	3758	930	4688

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा -कार्य

(6) मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ भारत संघ के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामलों / मुकदमों की देखरेख करता है और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसेल नामनिर्दिष्ट करता है ।

(7) दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 987 मामलों में सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा-कार्य

अनुभाग	1.4.2015 से 31.12.2015 तक प्राप्त मामले	01.01.2016 से 31.3.2016 तक प्रत्याशित मामले	योग
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	987	350	1337

मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी

(i) रेल और आय-कर विभाग को छोड़कर दिल्ली/ नई दिल्ली में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है । उपर्युक्त न्यायालयों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल इस अनुभाग के प्रभारी उप विधि सलाहकार द्वारा अधीक्षक (विधि)/ सहायक (विधि) की सहायता से की जाती है ।

(ii) यहां ज्येष्ठ पैनल काउंसेलों /अपर केंद्रीय सरकारी काउंसेलों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें से मुकदमा लड़ने के लिए काउंसेलों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है । संबद्ध मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर मामले में न्यायालय में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपयुक्त काउंसेल नियोजित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 829 (पुराने और नए)

मामलों में काउंसेल नियोजित किए हैं। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों/काउंसेलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है । दिनांक 21.01.2016 को जिला न्यायालयों/ अधिकरणों/उपभोक्ता फोरमों में कुल 8425 मामले लंबित थे।

(iii) काउंसेलों से प्राप्त फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान 471 फीस बिल प्राप्त हुए और काउंसेलों के वृत्तिक फीस बिलों के लिए रुपये 2847420/- का संदाय किया गया । वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए कुल बजट रुपये 40,00000/- है । आज की तारीख के अनुसार, लगभग 10 लाख रुपए के कुल लंबित बिलों की संख्या 194 है ।

(iv) न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों / अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा0सू0के0) द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

(v) इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी उप विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है । अधीक्षक (विधि) मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग का पर्यवेक्षण कर रहे हैं ।

8. न्यायिक अनुभाग

न्यायिक अनुभाग उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के मुकदमा-कार्य के व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी है । इसके कृत्यों में केन्द्रीय सरकार की ओर से मुकदमा कार्य के संचालन के लिए भारत के महान्यायवादी, भारत के महा-सालिसिटर और अपर महा-सालिसिटरों और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरणों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और कुछ राज्यों में उपभोक्ता फोरमों में केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई करना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जांच आयोगों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिककल्प प्राधिकरणों आदि के समक्ष मामलों के संचालन के लिए मंत्रालयों और विभागों की ओर से विधि अधिकारियों तथा अन्य

काउंसेलों को नियोजित करना है । इसके कृत्यों में, मामलों के संचालन के लिए उनके निबंधनों तथा शर्तों को तैयार करना और उन्हें तय करना भी है । न्यायिक अनुभाग भारत सरकार के विभिन्न विभागों और निजी पक्षकारों के बीच विवादों में मध्यस्थों के नामांकन के लिए भी जिम्मेदार है ।

(2) यह अनुभाग, कानूनी आदेश जारी करने के लिए, जैसे कि सा0का0नि0 167 के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 1 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध रिट कार्यवाहियों में या सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वादों में वाद-पत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करने हेतु आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है । यह अनुभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत भी करता है ।

(3) यह अनुभाग सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालय की डिक्रियों का निष्पादन, भरण-पोषण के आदेशों का प्रवर्तन और भारत में निर्वसीयत निधन होने पर विदेशियों की संपदाओं का प्रशासन करने के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करने का कार्य भी कर रहा है।

(4) भारत ने वर्ष 2007 में सिविल व वाणिज्यिक मामलों में विदेशों में न्यायिक व न्यायेतर दस्तावेजों की तामील के बारे में हेग कंवेंशन को तथा सिविल व वाणिज्यिक मामलों में विदेशों में साक्ष्य लेने के हेग कन्वेंशन को अपनी सहमति प्रदान की है । इन दोनों कंवेंशनों के लिए विधि और न्याय मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण है । न्यायिक अनुभाग उक्त कंवेंशनों के अधीन विदेशों से प्राप्त समनों/ नोटिसों की न्यायिक प्राधिकरणों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को तामील से संबंधित कार्य करता है । न्यायिक अनुभाग देश के न्यायिक प्राधिकरणों से जारी किए जाने वाले समनों/नोटिसों को तामील के लिए विदेशों के केंद्रीय प्राधिकरणों को अग्रसारित करने का कार्य भी करता है ।

(5) उक्त अवधि के दौरान, पांच विधि अधिकारी कलकत्ता उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और दक्षिणी क्षेत्र में नियुक्त किए गए। आज की तारीख में, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में भारत सरकार के हितों की देखभाल करने के लिए 18 विधि अधिकारी हैं, जिनके नाम-पते http://lawmin.nic.in/la/lawofficers.pdf में देखे जा सकते हैं। दो सहायक महासालिसिटर गुवाहाटी और मेघालय उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए। 41 अतिरिक्त पैनल काउंसेल उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त किए गए। 56 नए पैनल काउंसेल आंध्र प्रदेश उच्च

न्यायालय में, 44 नए पैनल काउंसेल गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, 12 नए पैनल काउंसेल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 93 नए पैनल काउंसेल दिल्ली उच्च न्यायालय/ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ जिला न्यायालयों में नियुक्त किए गए। 36 नए पैनल काउंसेल गुजरात उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए । 17 नए पैनल काउंसेल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए । 18 नए पैनल काउंसेल झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 153 नए पैनल काउंसेल कर्नाटक उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए । 83 नए पैनल काउंसेल केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 72 नए पैनल काउंसेल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 113 नए पैनल काउंसेल बंबई उच्च न्यायालय में और 18 बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ और 5 औरंगाबाद पीठ के लिए नियुक्त किए गए । 20 नए पैनल काउंसेल उड़ीसा उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए । 102 नए पैनल काउंसेल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में और 106 नए पैनल काउंसेल राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 101 नए पैनल काउंसेल मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 419 नए पैनल काउंसेल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 29 नए पैनल काउंसेल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 139 नए पैनल काउंसेल कलकत्ता उच्च न्यायालय नियुक्त किए गए। 25 नए पैनल काउंसेल सशस्त्र बल अधिकरण, नई दिल्ली में नियुक्त किए गए। 34 नए पैनल काउंसेल सशस्त्र बल अधिकरण, लखनऊ में नियुक्त किए गए। 15 नए पैनल काउंसेल सशस्त्र बल अधिकरण, जयपुर में नियुक्त किए गए।

(6) विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ने माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 44(ख) के अधीन मॉरिशस के साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि की । इसके अतिरिक्त, विधि कार्य विभाग वर्ष 1965 के हेग कन्वेंशन के अधीन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विदेशों के साथ न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है । इस दायित्व के अधीन, लगभग 815 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई । उक्त अवधि के दौरान, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की अनुसूची-1 के आदेश XXVII के नियम 1 के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर किए गए वादों में वाद-पत्रों व लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने हेतु विभिन्न अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं व करारों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए कुछ अधिसूचनाएं भी जारी की गईं । इसके अतिरिक्त, सरकार और प्राइवेट पक्षकारों के बीच के विवादों में कुछ मध्यस्थ भी नामित /नियुक्त किए गए।

9. नोटरी सेल

नोटरी सेल नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 का प्रशासन करता है । नोटरी सेल देश में नोटरियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों/आवेदनों की जांच/संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किए गए वृत्तिक और अन्य अवचारों के आरोपों की जांच भी करता है । नोटरी सेल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल नोटरी से इस आशय का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, उपयुक्त मामलों में, व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार भी प्रदान करता है ।

(2) जनवरी 2015 से दिसम्बर, 2015 तक लगभग 435 अधिवक्ताओं/आवेदकों को नोटरी नियुक्त किया गया है । केंद्रीय सरकार द्वारा अभी तक देश के विभिन्न भागों में 11303 नोटरी नियुक्त किए जा चुके हैं । इसके अलावा, इस दौरान नोटरियों के 690 प्रमाण-पत्रों का नवीकरण किया गया है।

(3) रिपोर्ट की अवधि के दौरान, नोटरी सेल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि नोटरियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली का कार्यान्वयन रहा जिससे प्रत्येक आवेदक न केवल सार्वजनिक नोटरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है बल्कि अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति का भी पता लगा सकता है। इससे आवेदन की स्थिति से संबंधित पूछताछ, आरटीआई आवेदनों और मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रणाली दिनांक 1.1.2016 से शुरू की गई है और इस बारे में आम जनता में भी सूचना का व्यापक प्रचार किया गया है।

10. कार्यान्वयन सेल

इस विभाग के कार्यान्वयन सेल का कार्य विधि आयोग की रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखे जाने के लिए उन पर कार्रवाई करना और जांच और उन पर शीघ्र कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजना है। यह सेल अधिवक्ता अधिनियम, 1961, अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001, विधि शिक्षा और विधि व्यवसाय के प्रशासन से भी संबद्ध है।

(2) भारत के विधि आयोग ने दिनांक 31.12.2015 तक 262 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं । 254 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी हैं। दिसम्बर, 2015 तक प्राप्त हुई सभी रिपोर्टें जांच/कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित की जा चुकी हैं। अनुभाग में

रिपोर्ट सं. 256 से 262 की प्रतियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें संसद के आगामी बजट सत्र में संसद में रखा जाएगा।

(3) कार्यान्वयन कक्ष कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधित स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण वर्ष 2005 से संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता आ रहा है । पिछला (ग्यारहवां) विवरण संसद के दोनों सदनों में (दिनांक 10.12.2015 को लोकसभा में और दिनांक 11.12.2015 को राज्य सभा में) रखा गया है।

11. अधिवक्ता अधिनियम, 1961

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 ('1961 का अधिनियम') विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि को संशोधित तथा समेकित करने और राज्यों के स्तर पर राज्य बार काउंसिलों और एक अखिल भारतीय बार काउंसिल अर्थात् भारतीय बार काउंसिल का गठन करने के लिए अधिनियमित किया गया था । वर्ष 1961 के इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन केवल एक वर्ग के व्यक्ति अर्थात अधिवक्ता ही भारत में विधि व्यवसाय करने के हकदार हैं ।

12. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001

कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और गरीब व विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाएं हमेशा से कानूनी बिरादरी के लिए विचारणीय विषय रहे हैं । कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने अधिनियम बनाए हैं । संसद ने "अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001" अधिनियमित किया है जो उन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों में लागू होता है जिनके इस विषय में अपने अधिनियम नहीं हैं ताकि वे "अधिवक्ता कल्याण निधि" का सृजन कर सकें । इस अधिनियम में वकीलों के लिए न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाना अनिवार्य किया गया है । "अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्पों" की बिक्री के जरिए एकत्रित राशि अधिवक्ता कल्याण निधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ।

(2) विधि व्यवसाय करने वाला कोई भी अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक अंशदान देकर अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य बन सकता है । यह निधि समुचित सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्टी समिति के पास रहेगी और उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी । इस निधि का प्रयोग किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने पर अनुग्रहपूर्वक अनुदान, प्रैक्टिस की समाप्ति पर निश्चित राशि के संदाय और किसी सदस्य की मृत्यु होने के मामले में उसके नामिती या कानूनी वारिस को

निश्चित रकम का संदाय करने, सदस्यों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा संबंधी और शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लिए, वकीलों के लिए विधि की पुस्तकों की खरीद व उनकी सामान्य सुविधाओं आदि के लिए किया जाएगा ।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरटीआई सेल विधि कार्य विभाग से संबंधित आरटीआई अनुरोधों, प्रथम अपीलों और द्वितीय अपीलों पर कार्रवाई करता है:

क्र.सं.	आरटीआई मामले	कुल (1.4.2015 से 31.12.2015)
1.	कुल आरटीआई अनुरोध	1050
2.	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रथम अपीलें	31
3.	माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें	33
4.	ऑनलाइन प्राप्त कुल अनुरोध	4417

14. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

(1) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग विधि और न्याय मंत्रालय की कानूनी पुस्तकों/जर्नलों और अन्य शोध सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है । यह अनुभाग अपने प्रयोक्ताओं को संदर्भ और विधिक अनुसंधान सेवा प्रदान करता है ।

(2) इस वर्ष पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने 406 पुस्तकें खरीदीं और संदर्भ के लिए विधि के जर्नलों के 442 खंडों की जिल्दबंदी भी करवाई ।

(3) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग विधि के 19 भारतीय जर्नल, 3 विदेशी जर्नल और 40 पत्रिकाएं मंगाता है ।

(4) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के उपयोग के लिए निर्णयज विधि, निर्णयों, आलेखों आदि के सुलभ संदर्भ के लिए निम्नलिखित सीडी रोम/ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त की हैं: -

(क) ए0आई0आर0 कॉम्बो डीवीडी (अपडेट्स) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, क्रिमिनल लॉ जर्नल (1950-2014)

(ख) एससीसी केस फाइंडर सीडी (अपडेट्स)

(ग) ग्रांड ज्यूरिक्स (एससी,एचसी,ट्रिब्यूनल)

(घ) एससीसी ऑनलाइन (आई0पी0) सर्विसेज

(ड.) मनुपात्र डॉट काम ऑनलाइन (आई0पी0) सर्विसेज

(च) वेस्ट लॉ इंडिया ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज

(छ) सी.एल.ए. ऑनलाइन.इन (आई.पी.) सर्विसेज

15. विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: -

(क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचना:

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर में, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी हैं, सभी संसूचनाओं के प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिनांक 25.7.1989 को जारी किए गए थे। इस बाबत अनुदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने के लिए प्रतिवर्ष पुन: जोर दिया जाता है।

(ख) हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजन:

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2015 को "हिन्दी दिवस" मनाया गया। माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि सचिव और राजभाषा अधिकारी ने अपने-अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से

उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की। "हिंदी दिवस" की पूर्व संध्या पर प्राप्त माननीय गृह मंत्री के संदेश को विभाग और उसके कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 1.9.2015 से 30.9.2015 तक "हिन्दी माह" का आयोजन किया गया। इसे दो उद्देश्यों, अर्थात् (क) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, और (ख) हिन्दी में अधिकतम कार्य करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान 7 प्रतियोगिताओं अर्थात् "हिन्दी निबंध प्रतियोगिता," "हिन्दी टंकण प्रतियोगिता", "हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता", "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," "अनुवाद प्रतियोगिता", "श्रुतलेख प्रतियोगिता" (समूह 'घ' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए), और "हिन्दी कामकाज प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 97 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 85 सफल प्रतियोगियों को मार्च, 2016 में आयोजित होने वाले समारोह में विधि सचिव द्वारा 66,800/-रु0 के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे । विभाग के शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ग) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच-बिंदुओं का सृजन :

(i) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच-बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच-बिंदु (आठ) सृजित करने के लिए दिनांक 16.11.1994 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच-बिन्दुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।

(ii) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारिवृन्द हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाने से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।

(iii) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी

केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में सुसंगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग के सभी अनुभागों को अंग्रेजी-हिंदी शब्दावलियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(iv) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार-बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित किया गया और उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। सभी मानक प्रारूपों को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जा चुका है ताकि कर्मचारिवृन्द बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है । सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।

(v) विभाग के सभी 300 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को दिए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।

(vi) विभाग और इसके कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/हिंदी आशुलिपि/ हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान की जाती है।

(vii) माननीय विधि और न्याय मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 7 जुलाई, 2015 को हुई । इस बैठक का आयोजन विधायी विभाग द्वारा किया जाता है ।

(viii) संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने दिनांक 18 फरवरी, 2015 को आयकर अपीलीय अधिकरण के इंदौर पीठ तथा दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को उसके गुवाहाटी पीठ में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का निरीक्षण किया। निरीक्षण बैठकों में श्री टी.एन.तिवारी, अपर सचिव एवं राजभाषा अधिकारी, श्री विजयसिंह मीणा, उप निदेशक (राजभाषा) एवं श्री अशोक कुमार चावला, सहायक निदेशक (राजभाषा) (केवल इंदौर में) ने विधि कार्य विभाग का प्रतिनिधित्व किया। संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा दिनांक 06.01.2015 को आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे पीठ का निरीक्षण किया गया जिसमें उप निदेशक(रा.भा.) ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया ।

(ix) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में, राजभाषा से संबंधित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए विभाग के अनुभागों, शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठ आदि विभाग के प्रशासनिक नियत्रंणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए विभाग में राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल गठित किया गया है।

(x) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 8 भागों में की गई सिफारिशों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(xi) विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रुप से की जाती हैं । विभाग के राजभाषा अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और उप सचिव (प्रशा0), सभी अवर सचिव, और सभी अनुभागों के प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है । बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाता है । समिति की पिछली बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को हुई थी।

(xii) दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ब्यौरा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पहलू भी है, **उपाबंध-II** में दिया गया ।

16. शाखा सचिवालय, मुम्बई

वर्तमान में विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग के मुंबई स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान/प्रभारी एक संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार हैं। उनकी सहायता के लिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो सहायक विधि सलाहकार और दो अधीक्षक (विधि), एक अनुभाग अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं।

(2) जहां तक मुंबई शाखा सचिवालय के कार्य का संबंध है, उसमें विधिक सलाह देना, बंबई उच्च न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख, संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले

अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख और शाखा सचिवालय का प्रशासनिक कार्य शामिल है।

शाखा सचिवालय, मुंबई में पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित है:-

क. विधिक सलाह : भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात उन्हें युक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/ प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता /अपर सरकारी अधिवक्ता को कार्रवाई के लिए देते हैं। यदि जरूरी हुआ तो, सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए भी भेजे जाते हैं ।
जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए 2744 मामले प्राप्तहुए हैं और शाखा सचिवालय ने लगभग सभी मामलों का निपटान कर दिया है और आज की तारीख में कोई भी मामला लंबित नहीं है ।

ख. मुकदमा : इस शाखा सचिवालय के मुकदमा अनुभाग के प्रधान एक संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/प्रभारी हैं जिनकी सहायता के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार और अधीक्षक (विधि) हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम में उनकी मदद करते हैं । इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है । जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बम्बई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत सरकार के पैनल पर रखे गए/ नियुक्त अधिवक्ताओं/ काउंसेलों के और विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विभिन्न पैनलों पर रखे गए अन्य काउंसेलों के माध्यम से किया जाता है ।जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय में विभिन्न मुकदमों से संबंधित लगभग 2023 मामले प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से काउंसेल नियुक्त किए गए और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगभग 580 मुकदमे निपटाए गए।

ग. प्रशासन : शाखा सचिवालय, मुम्बई के प्रशासन के प्रमुख संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/ प्रभारी अधिकारी हैं । शाखा सचिवालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उनकी सहायता के लिए एक अनुभाग अधिकारी/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी है।

माननीय बंबई उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 2743/2014 में दिनांक 4.2.2015 को पारित किए गए आदेश के अनुसरण में नेशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड (एनएसईएल) और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (भारत) लिमिटेड (एफटीआईएल) के एकीकरण पर आपत्ति की सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/प्रभारी अधिकारी को कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित की गई समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

घ. राजभाषा : इस शाखा सचिवालय के संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/ प्रभारी अधिकारी **'विभागीय राजभाषा अधिकारी'** के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं।

17. शाखा सचिवालय, कोलकाता

वर्ष 2015-16 के दौरान शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रधान एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं, जो समग्र प्रभारी के रूप में भी कार्य करते हैं । इस शाखा सचिवालय में आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, प्रशासन, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसेल फीस बिल, मुकदमा, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/निचला न्यायालय और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग । इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में एक पुस्तकालय है जिसमें 8800 से अधिक पुस्तकें हैं। यह पुस्तकालय अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में चल रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता

उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों शाखाओं से संबंधित सभी मुकदमों की देखरेख करता है।

(2) शाखा सचिवालय, कोलकाता का कार्यालय द्वितीय और तृतीय तल, मिडिल बिल्डिंग, 11, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता -700001 में स्थित है ।

(3) यह शाखा सचिवालय कलकत्ता उच्च न्यायालय और पोर्ट ब्लेयर स्थित उसके सर्किट बेंच में तथा 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में अन्य उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों में भारत संघ के मुकदमों की देखरेख करता है । यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कोलकाता न्यायपीठ के साथ-साथ कटक, गुवाहाटी, पटना स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अन्य न्यायपीठों और सिक्किम तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के उसके सर्किट न्यायपीठों के समक्ष केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है । यह शाखा सचिवालय आय-कर विभाग, सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (केवल सलाह कार्य), राजस्व आसूचना, फेमा, रेल मंत्रालय (पुराने मामले), रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय

सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों को, जिनके कार्यालय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में स्थित हैं, और कार्रवाई का कारण कोलकाता में उत्पन्न होने पर पूर्वी क्षेत्र से बाहर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को भी, संबंधित विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है और उनके मुकदमा कार्य का संचालन करता है । संबंधित विभागों से विनिर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण और आय-कर अपीलीय अधिकरण आदि विभिन्न अधिकरणों के समक्ष और माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थों के समक्ष उपस्थित होने के लिए काउंसेलों को भी नियोजित किया जाता है ।

(4) वर्ष 2015-16 के दौरान दिसम्बर, 2015 तक सलाह खंड में कुल 1307 निर्देश प्राप्त हुए हैं। अनुमान है कि वर्ष 2015-16 के अंत तक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों और निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या लगभग 1500 होगी। इस शाखा सचिवालय द्वारा विभिन्न न्यायालयों के साथ-साथ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल किए जाने वाले अभिवचनों की विधीक्षा भी की जाती है।

(5) मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXVII के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलेख-अधिवक्ता के तौर पर और सरकारी अभिवक्ता के तौर पर भी कार्य करते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियोजित किए गए पैनल काउंसेल के माध्यम से मामले पर सुनवाई/बहस करवाते हैं ।

(6) 2015-16 के दौरान, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, एक अपर सरकारी अधिवक्ता और तीन कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं ने भारत संघ और अन्य केंद्रीय सरकारी याचिकाकर्ताओं/ प्रत्यर्थियों की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया और वे न्यायालय में सरकारी अभिवक्ता के तौर पर भी उपस्थित हुए । वर्ष 2015-16 के दौरान, दिसंबर, 2015 तक शाखा सचिवालय, कोलकाता के मुकदमा प्रभाग द्वारा प्राप्त और संचालित उच्च न्यायालय के मामलों की कुल संख्या 3030 है और उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों (कुछ मामले पिछले वर्षों के भी थे) की संख्या 1363 है। संपूर्ण वर्ष 2015-16 के दौरान निपटाए जाने वाले संभावित मामलों की संख्या लगभग 4200 होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय में दिसम्बर, 2015 के अंत तक लंबित सरकारी मामलों की कुल संख्या 1846 थी। इसी प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता न्यायपीठ में वर्ष 2015-16 में (दिसंबर,2015 तक) सेवा मामलों में काउंसेलों की नियुक्ति के लिए शाखा सचिवालय, कोलकाता में प्राप्त मामलों की संख्या **1307** थी और यह अनुमान है कि वर्ष 2015-16 के दौरान ऐसे मामलों की कुल संख्या **2000** तक हो

जाएगी । वर्ष 2015-16 में (दिसंबर, 2015 तक) माध्यस्थम मामलों सहित निपटाए गए अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों की संख्या 300 थी और यह अनुमान है कि 2015-16 की शेष अवधि के दौरान लगभग 40 और मामले प्राप्त हो सकते हैं।

(7) काउंसेलों की वृत्तिक फीस के संदाय के लिए 3,00,00,000/- रुपए के स्वीकृत बजट में से दिसम्बर 2015 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 1,26,14,704/- रुपए का भुगतान किया जा चुका है । बजट की शेष राशि का संदाय वर्ष 2015-2016 के अगले तीन महीनों के दौरान किया जाएगा । अधिवक्ताओं को दी गई फीस का विवरण उपाबंध-III में दिया गया है ।

(8) यह शाखा सचिवालय विभिन्न न्यायालयों में और मध्यस्थों के समक्ष माध्यस्थम कार्यवाहियों का संचालन करने वाले सरकारी काउंसेलों/स्थायी काउंसेलों की व्यावसायिक फीस के बिलों को उचित जांच के पश्चात प्रमाणित भी करता है, जो केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा पुनरीक्षण के लिए भेजे गए होते हैं । तथापि, इन बिलों का वास्तविक भुगतान संबंधित विभागों द्वारा ही किया जाता है । पूर्वी क्षेत्र के अन्य उच्च न्यायालयों में स्थायी काउंसेलों की व्यावसायिक फीस के बिलों का पुनरीक्षण भी इसी शाखा सचिवालय द्वारा किया जाता है ।

(9) इस शाखा सचिवालय में राजभाषा हिंदी के प्रचार/प्रयोग संबंधी कार्य के लिए हिंदी अनुभाग है, जिसका पर्यवेक्षण अनुभाग अधिकारी द्वारा एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की सहायता से किया जाता है। इस सचिवालय में सितम्बर, 2015 में 'हिंदी दिवस' पूरे उत्साह के साथ मनाया गया । अभी तक हिंदी शिक्षण योजना के अधीन, लगभग 90 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारिवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है । आशा की जाती है कि वर्ष 2017 तक स्टाफ के सभी कर्मचारी ऐसे पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण को पूरा कर लेंगे ।

(10) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा विकसित 'कोसा' नामक एक नये सॉफ्टवेयर से शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के वेतन बिलों को तैयार किया जा रहा है । इस संबंध में आवश्यक कार्य पहले ही किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त, स्रोत पर काटे गए आयकर की त्रैमासिक विवरणियों को इलैक्ट्रानिक मीडिया में तैयार किया जा रहा है और फ्लापियों/सीडी में उन्हें टीआईएन सुविधा केंद्र के माध्यम से आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है । स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में आयकर प्राधिकारी द्वारा एक नया फार्म-24जी शुरू किया गया है, जिसे स्रोत पर कर काटे जाने के अगले महीने की 10 तारीख तक इस विभाग द्वारा भरकर इलैक्ट्रानिक फार्मेट में जमा किया जाना होता है । एनआईसी, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए साफ्टवेयर 'सीडीडीओ2पीएओ' का प्रयोग करते हुए व्यय का साप्ताहिक विवरण भी तैयार किया जाता है और फ्लापियों/सीडी में वेतन और लेखा कार्यालय को भेजा जाता है। इसके

अतिरिक्त, सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के भुगतान की जानकारी भी गवर्नमेंट एकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम (जीएएमएस) का प्रयोग करते हुए सम्पदा निदेशालय को ऑनलाइन भेजनी होती है। वर्तमान में शाखा सचिवालय, कोलकाता में 37(सैंतीस) पर्सनल कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है । शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रत्येक अनुभाग/अधिकारी के कक्ष में लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराया गया है । अब यहां के लगभग सभी कम्प्यूटरों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है ।

(11) शाखा सचिवालय, कोलकाता का पुस्तकालय अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में संचालित है, जिसमें 8800 से अधिक पुस्तकें हैं। यह मुकदमा-कार्य और सरकारी विभागों को सलाह के काम में बहुत मददगार है । इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन विधि पुस्तकालय 'मनुपात्र' और 'सीडीजे लॉ जर्नल' की सुविधा भी मुहैया कराई गई है ।

(12) शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के लिए दिनांक 12 अप्रैल, 2011 से एक बायोमीट्रिक उपस्थिति व्यवस्था शुरू की गई है । अब आधार आधारित बॉयोमैट्रिक प्रणाली भी सफलतापूर्वक शुरू की गई है।

(13) शाखा सचिवालय, कोलकाता में एक नियमित प्रक्रिया के तहत स्वच्छता अभियान चल रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता में स्वच्छता अभियान और पुराने रिकार्डों की छंटाई के निरीक्षण के लिए अधीक्षक (विधि) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। शाखा सचिवालय में हर दूसरे शनिवार को 'सफाई अभियान' चलाया जा रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए व्यापक मरम्मत कार्य तथा स्वच्छता अभियान चालू होने के कारण कार्यालय ज्यादा स्वच्छ और सुंदर हो गया है और कार्यालय परिसर को और स्वच्छ/सुंदर बनाने के उद्देश्य से उसमें परिवर्तन/नवीकरण के प्रयास जारी हैं।

18. शाखा सचिवालय, चेन्नै

चैन्नै स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं ।

सलाह : यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है । दिनांक 1-4-2015 से 31-12-2015 तक की अवधि के दौरान, सलाह के लिए लगभग 834 निर्देश प्राप्त हुए और निपटाए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के दौरान सलाह के लिए लगभग 350 निर्देश और प्राप्त होने की संभावना है ।

मुकदमा कार्य : शाखा सचिवालय, चेन्नै मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, दूरसंचार, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है । यह तमिलनाडु और केरल में नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों इत्यादि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है । इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नै को चेन्नै स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है ।

(ii) दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 6525 मामले प्राप्त हुए और उनमें से लगभग 6345 मामलों का निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय/सी ए टी/एल सी आदि की आवतियां, फीस बिल और खोली गई फाइलें भी शामिल हैं तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान अगले तीन महीने की शेष अवधि में मुकदमों से संबंधित लगभग 1800 और मामले प्राप्त होने का अनुमान है।

(iii) शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है । तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी विधीक्षा की जाती है । शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में, काउंसेलों का नामांकन/नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसेल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है ।

काउंसेलों के फीस बिल : यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ पैनल काउंसेल और केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेलों को सीधे अपनी केन्द्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है । केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है ।

प्रकीर्ण : रिपोर्ट की अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन विभिन्न आवेदन, अपीलें और मुकदमों के संबंध में अन्य पत्र/निर्देश आदि भी प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया ।

महिला कर्मचारी : इस कार्यालय में 7 महिला कर्मचारी हैं जिनमें 1 उप विधि सलाहकार, 1 अधीक्षक (विधि), 2 वैयक्तिक सहायक, 1 वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क और 2 सहायक अनुभाग अधिकारी हैं।

निम्नलिखित श्रेणियों के तहत कार्यरत कर्मचारियों के आंकड़े : सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के अलावा, विभिन्न श्रेणियों के 13 कर्मचारी हैं, जिनमें अ0 जा0-4, अ0 ज0 जा0-1, अ0 पि0 व0-6, भूतपूर्व सैनिक- 1 और शारीरिक रूप से विकलांग -1 है ।

19. शाखा सचिवालय, बंगलूरू

शाखा सचिवालय, बंगलूरू की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है । शाखा सचिवालय, बंगलूरू के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं ।

सलाह : शाखा सचिवालय, बंगलूरू, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है । चालू वर्ष अर्थात् 2015-2016 के दौरान सलाह के लिए लगभग 775 निर्देश प्राप्त हुए और उन सभी का निपटान कर दिया गया। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरू तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति शपथपत्रों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किए जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति-शपथपत्रों, प्रति-विवरणों और पाठों की जांच और उनकी विधीक्षा करना शामिल है ।

इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श करना आदि कार्य किए जाते हैं ।

मुकदमा कार्य : यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में और उसके धारवाड़ व गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों में और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तथा बंगलूरू नगर, हैदराबाद व सिकन्दराबाद में अधीनस्थ न्यायालयों और दोनों राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है । यह शाखा सचिवालय दोनों राज्यों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता

प्रतितोष आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है । चालू वर्ष 2015-16 के दौरान, मुकदमों से संबंधित लगभग 2901 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेलों के नामनिर्देशन, काउंसेलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल है । इस संबंध में शाखा सचिवालय के कृत्यों में केंद्रीय सरकारी काउंसेलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा उनके बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है ।

काउंसेलों के फीस के बिल : यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस के बिलों पर स्वयं कार्रवाई करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में भारत के सहायक सालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसेल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है । जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसेल की फीस शाखा सचिवालय, बंगलूरू द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से वह मुकदमे का संचालन करता है । केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल कांउसेलों की फीस का भुगतान संबंधित विभाग करते हैं । अत: यह शाखा सचिवालय काउंसेलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है । तथापि, इस मामले में कोई शंका होने पर अनुरोध किए जाने पर यह मंत्रालय स्थिति को स्पष्ट करता है।

भारत के अपर महासालिसिटर के कार्यालय की स्थापना : भारत सरकार ने श्री के.एम. नटराज, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रभुलिंग के. नवादगी, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 8 अप्रैल, 2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रमश: दक्षिणी जोन के लिए और कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत के अपर महासालिसिटर के पद पर नियुक्त किया है। भारत के ये दोनों अपर महासालिसिटर बंगलुरू में रहते हैं। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के परिसर में कार्यालय स्थान आबंटित होने के फलस्वरूप दिनांक 8 जनवरी, 2016 को माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा भारत के अपर महासालिसिटर के कार्यालय का उद्घाटन किया गया।

20. भारत का विधि आयोग

20वें विधि आयोग की अवधि दिनांक 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हो गई और दिनांक 1 सितंबर, 2015 से 31 अगस्त, 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 21वें विधि आयोग का गठन किया गया है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष; चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित); सचिव, विधि कार्य विभाग (पदेन सदस्य); सचिव, विधायी विभाग (पदेन सदस्य); और 5 से अनधिक अंशकालिक सदस्य हैं। तथापि, अभी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होनी बाकी है।

(2) 20वें विधि आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं-

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन :

(i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गई हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है ।

(ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है ।

(iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना ।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/ संशोधन के झावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि, से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना ।

(v) एक से अधिक मंत्रालयों/ विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से किए गए निर्देशों पर विचार करना ।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना ।

ख. विधि और निर्धनता :

(i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक - आर्थिक विधान के लिए पश्च-संपरीक्षा करना ।

(ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों ।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :--

(i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके ।

(ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो ।

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार ।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों ।

ङ लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना ।

च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके ।

छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना ।

झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भेजे गए हों, पर विचार करना।

ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(3) 20वें विधि आयोग ने उसे सौंपे गए विचारार्थ विषयों के अनुसरण में स्व-प्रेरणा से और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्देश पर विभिन्न विषयों पर कार्य किया।

(4) विधि आयोग ने वर्ष 2015 के दौरान निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत कीं :-

(i) **रिपोर्ट सं0 252:** हिंदू पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार: हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 पर पुनर्विचार (6.1.2015)

(ii) **रिपोर्ट सं0 253:** उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वणिज्यिक अपीली प्रभाग तथा वाणिज्यिक न्यायालय विधेयक, 2015 (29.01.2015)

(iii) रिपोर्ट **सं0 246 की अनुपूरक रिपोर्ट:** माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन, रिपोर्ट सं0 246 के बाद की परिस्थितियों में "लोक नीति" (06.02.2015)

(iv) **रिपोर्ट सं0 254:** भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 (12.02.2015)

(v) **रिपोर्ट सं0 255:** निर्वाचन सुधार (12.03.2015)_

(vi) **रिपोर्ट सं0 256:** कुष्ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के प्रति विभेद का उन्मूलन (07..04.2015)

(vii) **रिपोर्ट सं0 257:** भारत में संरक्षकता और अभिरक्षा संबंधी विधियों में सुधार (22.05.2015)

(viii) **रिपोर्ट सं0 258:** विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतरराष्ट्रीय संगठन के पदधारी रिश्वत निवारण-एक अध्ययन और प्रस्तावित संशोधन (27.08.2015)

(ix) **रिपोर्ट सं0 259:** आरंभिक बाल्यावस्था विकास और विधिक हकदारियां (27.08.2015)

(x) **रिपोर्ट सं0 260:** 2015 प्रारूप माडल भारतीय द्विपक्षीय विनिधान संधि का विश्लेषण (27.08.2015)

(xi) **रिपोर्ट सं0 261**: पालित पशुओं की दुकानों और कुत्तों तथा जलजीवशाला में मछलियों के पालन को विनयमित करने की आवश्यकता (28.08.2015)

(xii) **रिपोर्ट सं0 262:** मृत्युदंड (31.08.2015)

21. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)

प्रस्तावना: भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) देश का एक प्रमुख विधिक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी । संस्थान के उद्देश्य हैं - विधि के विज्ञान का विकास करना, विधि को सामाजिक-आर्थिक विकास और आम लोगों की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए विधिक शोध के क्षेत्र में उच्च अध्ययन को बढ़ावा देना, विधि की प्रणालीबद्धता को सुनिश्चित करना, विधि शिक्षा के क्षेत्र में अन्वेषण करना और उसे प्रोत्साहित करना तथा किए गए अध्ययनों को पुस्तकों के रूप में और पत्रिकाओं में प्रकाशित करना । भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति इसके पदेन अध्यक्ष

हैं । इस संस्थान को वर्ष 2004 में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 29.10.2004 की अधिसूचना सं.एफ.9-9/2001-यू.3 के तहत मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है ।

अकादमिक कार्यक्रम: वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोध पर एक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया । इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला पूर्णत: योग्यता के आधार पर होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिये होता है । वर्तमान में संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2015-2016 में दाखिल छात्र
एल.एल.एम.- 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	26
एल.एल.एम.- 2 वर्ष (पूर्णकालिक)	36
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधि)	260
विधि में पीएच.डी.	03
छात्रों की कुल संख्या	325

- संस्थान में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 27 छात्र नामांकित हैं ।
- यह संस्थान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और साइबर विधि में तीन माह की अवधि के ऑन- लाइन ई-लर्निंग प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान ऑन-लाइन साइबर विधि के बैच सं. 20, 21, और 22 तथा ऑन-लाइन आई.पी.आर. पाठ्यक्रम के बैच सं. 31, 32 और 33 पूरे हुए।

कार्य-निष्पादन व उपलब्धियों की रिपोर्ट (दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 तक)

जारी किए गए शोध-प्रकाशन : रिपोर्ट की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गए :

- **जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट (जेआईएलआई):** यह भारतीय विधि संस्थान का त्रैमासिक जर्नल है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषयों पर शोध आलेख प्रकाशितकिए जाते हैं ।

- **आई0एल0आई0 न्यूजलैटर:** यह त्रैमासिक प्रकाशन है और इसमें तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों और आगामी क्रियाकलापों का विवरण प्रकाशित किया जाता है ।

- **दस्तावेजों का डिजिटीकरण:** भारतीय विधि संस्थान ने अपने प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों के 2.5 लाख से अधिक पृष्ठों का डिजिटीकरण किया है और वे डीवीडी के रूप में उपलब्ध हैं ।

भारतीय विधि संस्थान की गतिविधियां (संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं/ दौरे/ विशेष व्याख्यान) :

- भारतीय विधि संस्थान ने विधि संकाय, श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसेंटीनरी यूनिवर्सिटी (एसजीटी) गुड़गाँव और सेंटर फॉर चाइल्ड एंड लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरु के साथ मिल कर दिनांक 15 मई, 2015 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 (संशोधित) पर एक राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन आयोजित किया।

- भारतीय विधि संस्थान ने ओ.पी.जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (लॉ स्कूल) के सहयोग से दिनांक 8 जून, 2015 को भारतीय विधि संस्थान में "यातना, अंतरराष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार" विषय पर एक दिन का एक सेमीनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी ने उद्घाटन भाषण दिया।

- भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 18 जून, 2015 को भूटान की शाही सरकार के प्रतिनिधि मंडल के लिए 'भारत में संधि की विधि, अनुसमर्थन प्रक्रिया और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियाँ' विषय पर आधे दिन का एक अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया।

- भारतीय विधि संस्थान ने विधि संकाय, श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसैंटीनेरी यूनवर्सिटी (एसजीटी) और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज (जीजीएसआईपी) के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 19-20 जून, 2015 को जी0जी0एस0आई0पी0 यूनिवर्सिटी, द्वारका, नई दिल्ली में 'विधिक शोध और कार्य प्रणाली' विषय पर एक संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया।

- भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से इस वर्ष निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं :

सत्र I- दिनांक 3-4 अक्तूबर, 2015 को न्यायिक अधिकारियों के लिए "मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियाँ" विषय पर दो-दिवसीय कार्यक्रम ।

सत्र II - दिनांक 7 और 8 नवंबर, 2015 को पुलिस कार्मिकों के लिए 'पुलिस और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियाँ' विषय पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

सत्र III - दिनांक 12 और 13 दिसंबर, 2015 को जेल कार्मिकों के लिए "मानवाधिकार :मुद्दे और चुनौतियाँ" विषय पर दो-दिवसीय कार्यक्रम ।

- भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 13 जून, 2015 को अकादमिक परिषद द्वारा यथा अनुमोदित- एल एल.एम. कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (ऑल इंडिया कॉमन एडमिशन टेस्ट) [सी.एल.ए.टी.] आयोजित की गई। एल एल.एम.- एकवर्षीय और दो-वर्षीय कार्यक्रमों के लिए 475 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की योग्यता-सूची निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 22 जून, 2015 को अधिसूचित की गई।

शोध परियोजनाएं:

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्थान को 'आतंकवाद से संबंधित मामलों का सार-संग्रह और आदर्श जांच व प्रक्रिया मैनुअल तैयार करने की एक परियोजना सौंपी है, जिस पर कार्य चल रहा है ।
- 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों का अर्थ और स्थिति' विषय पर न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सौंपी परियोजना पर कार्य चल रहा है ।
- केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद ने संस्थान को केंद्रीय जांच ब्यूरो और कानून का प्रवर्तन करने वाली अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए 'विधि के शासन की प्रमुखता' विषय पर एक माड्यूल विकसित करने की परियोजना सौंपी है ।
- भारतीय विधि का पुनर्कथन: भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और भारतीय विधि संस्थान के अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करों, संवैधानिक विधि और दंड विधि की बाबत 'भारतीय विधि के पुनर्कथन के लिए समितियां' गठित की हैं।
- पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय विधि संस्थान को 'उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में पंचायती राज से संबंधित निर्णयज विधि पर एक अध्ययन' विषय पर एक परियोजना सौंपी है। इस अध्ययन पर कार्य चल रहा है।

आगामी गतिविधियां

(दिनांक 1.1.2016 से 31.3.2016 तक)

I. प्रकाशन

उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान प्रकाशन किए जाने का प्रस्ताव है:

(i) जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (त्रैमासिक प्रकाशन)

(ii) आई.एल.आई. न्यूजलैटर विद केस कमेंट्स एंड लीगल जाटिंग्स (त्रैमासिक प्रकाशन)

(iii) भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण -2014

(iv) विधि पत्रिकाओं की सूची-2015

(v) "पर्यावरण कानून" पर नई पुस्तक तथा 'ए ट्रीटाइज ऑफ कंजूमर प्रोटेक्शन लॉज' और 'राइट टू बेल' पुस्तकों का संशोधित व अद्यतन संस्करण ।

II. बैठकें/ संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ प्रशिक्षण/ कार्यशाला/ दौरे/ विशष व्याख्यान

(i) डॉ. डेविड मेलोनी "द यू. एन. सिक्योरिटी काउंसिल इन ए टाईम ऑफ रिन्यूड ग्रेट पावर टेंशन" विषय पर एक विशेष व्याख्यान देंगे।

(ii) संस्थान 'मानवाधिकार : मुद्दे और चुनौतियाँ' विषय पर किशोर सुधार गृहों/ वृद्धाश्रमों/ स्वास्थ्य-कर्मियों के लिए एक एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा ।

(iii) भारतीय विधि संस्थान का वार्षिक दीक्षांत समारोह दिनांक 15 मार्च, 2016 को होना निर्धारित हुआ है ।

(iv) कुछ और विशेष व्याख्यानों/ भारतीय विधि संस्थान के संकाय सदस्यों/ विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा की योजना भी बनाई गई है।

III. परीक्षाएं/ प्रवेश:

(i) उपर्युक्त अवधि के दौरान सेमेस्टर के अंत में एलएल.एम. के 1/2/3 वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

(ii) उपर्युक्त अवधि के दौरान स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अध्ययन पूरा हो जाएगा तथा परीक्षाएं होंगी ।

(iii) साइबर कानून तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के ऑन लाईन पाठ्यक्रमों का क्रमश: 23वां बैच और 34वां बैच मार्च, 2016 तक पूरा हो जाएगा।

22. भारतीय बार काउंसिल (बी.सी.आई.)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित भारतीय बार काउंसिल को अन्य बातों के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण व शिष्टाचार के मानदंड निर्धारित करने तथा देश में विधि शिक्षा के मानदंड निर्धारित करने, उन्हें बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने की शक्ति प्रदान की गई है । जबकि राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ताओं के तौर पर नामांकन करने के लिए प्राधिकरण हैं, राज्य बार काउंसिलें और भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ताओं में अनुशासन का प्रवर्तन करती हैं । भारतीय बार काउंसिल अनुशासनात्मक मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर कार्य करती है ।

(2) भारतीय बार काउंसिल सदस्यों को परिचालित कार्यसूची के अनुसार नियमित अंतरालों पर बैठकें करती है । इन बैठकों में, काउंसिल धारा 26(1) के अधीन उन मामलों में निष्कासन की कार्यवाहियां भी करती है, जिनमें अन्यथा कथन अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर किसी व्यक्ति नामांकन किया गया हो; और राज्य बार काउंसिलों से धारा 26(1) के अधीन प्राप्त ऐसे निर्देशों का निपटान भी करती है, जिनमें राज्य बार काउंसिल द्वारा किसी कारणवश नामांकन के आवेदन को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया होता है तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 48(क) के अधीन उन मामलों में पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई और निर्णय भी करती है, जिन मामलों में अधिवक्ताओं के विरुद्ध व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार की शिकायतों को राज्य बार काउंसिल द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया होता है।

23. संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस)

(1) **प्रस्तावना:** संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। इस संस्थान की स्थापना भारत के संविधान के कार्यकरण और सर्वांगीण विकास के विशेष संदर्भ में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन के लिए और उसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिनांक 10 दिसंबर, 1956 को हुई थी ।

(2) **डिप्लोमा पाठ्यक्रम:** यह संस्थान संसदीय फैलोशिप कार्यक्रम और दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एक संवैधानिक विधि में तथा दूसरा संसदीय संस्थाओं और प्रक्रियाओं में चलाता है । संस्थान द्वारा संचालित 3 पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर अंशकालिक पाठ्यक्रम हैं और एक-एक वर्ष के हैं । तीनों पाठ्यक्रमों की कक्षाएं शाम को संस्थान परिसर में लगती हैं। चूंकि संस्थान का अपना कोई संकाय नहीं है, इसलिए तीनों पाठ्यक्रमों के लिए व्याख्यान देने के लिए बाहर से अतिथि व्याख्याता बुलाए जाते हैं । चालू अकादमिक वर्ष 2015-16 के लिए इन तीनों पाठ्यक्रमों के दाखिले जून-जुलाई, 2015 में किए गए और तीनों पाठ्यक्रमों में कुल 50 छात्रों को नामांकित किया गया। जुलाई,

2015 के अंतिम सप्ताह के दौरान छात्रों के हित के लिए आयोजित एक प्रवेश कार्यक्रम के बाद, दिनांक 24 अगस्त, 2015 से इन पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई हैं ।

आगामी गतिविधियाँ
(दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2016)

डिप्लोमा पाठ्यक्रम : चालू अकादमिक सत्र 2015-16 के तीनों पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद फरवरी-मार्च, 2016 में आयोजित की जाएंगी ।

24. आयकर अपीलीय अधिकरण(आई.टी.ए.टी.)

(1) **उद्गम :** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझे, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी । भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही उपबंध के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी ।

(2) **गठन :** आयकर अधिनियम, 1961 में यह भी उपबंध है कि अधिकरण का न्यायिक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या जो भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो और जिसने उस सेवा के ग्रेड 2 में कोई पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद कम-से-कम तीन वर्ष तक धारण किया हो या जो कम-से-कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो । लेखा सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेट के रूप में लेखाकर्म का कम-से-कम दस वर्ष तक व्यवसाय किया हो या पूर्व में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट या आंशिकत: रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट और आंशिकत: चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो या जो भारतीय आयकर सेवा समूह 'क' का सदस्य रहा हो और जिसने कम-से-कम तीन वर्ष तक (अपर) आय-कर आयुक्त का पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद धारण किया हो ।

(3) **सदस्यों और कर्मचारियों की कमी:** देशभर के 27 शहरों में स्थित 63 बेंचों के लिए अधिकरण के सदस्यों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 126 है, जिनमें से केवल 95 सदस्य पदस्थ हैं और आज की तारीख में सदस्यों के 31 पद रिक्त हैं। अधिकरण वर्तमान में अध्यक्ष के नेतृत्व में है तथा 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 9 उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का एक (1) पद, उपाध्यक्ष के 6(छह) पद तथा सदस्यों के चौबीस (24) पद रिक्त हैं।

(4) शक्तियां और कृत्य:

(i) आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों तथा प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरूद्ध अपील और आयकर अधिनियम के अध्याय-XX-क के अधीन संपत्ति के अर्जन के आदेशों के विरूद्ध अपील का निपटान करता है।

(ii) आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिसकी मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय पंद्रह लाख रूपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

(5) प्रक्रिया और नियम :

(i) अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निवर्हन से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे स्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

(ii) तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यह अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन-कर, दान-कर और व्यय-कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेषण-प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपनी पूरी योग्यता से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर-दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से न्याय का पलड़ा बराबर बनाए रखते हैं।

(iii) सामान्यत: अपीलों की सुनवाई एक लेखा सदस्य और एक न्यायिक सदस्य से मिलकर बने न्यायपीठ द्वारा की जाती है। तथापि, समुचित मामलों में अध्यक्ष के विवेक से किसी न्यायपीठ में दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं।

(iv) जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें लाखों रूपयों का राजस्व शामिल होता है । अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है । न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में तथ्य के प्रश्नों की समुचित रूप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ-साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है । अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यत: उनकी सुनवाई करता है । सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पण लिखते हैं,न्यायालय में उद्धृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं । यह प्रक्रिया अपने आप में ही एक गारंटी है कि तथ्यों के प्रश्न समुचित रूप से और न्यायिकत: विनिश्चित किए जाते हैं और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और निर्दोष होते हैं ।

(6) अपीलों का लंबन :

(i) वर्ष 2015 की शुरूआत में 100567 अपीलें लंबित थीं और दिनांक 1 जनवरी, 2016 को आयकर अपील अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 95669 है । वर्ष 2014 और 2015 में सदस्यों की संख्या, दाखिल हुई अपीलों की संख्या, निपटाई गई अपीलों की संख्या और लंबित अपीलों की संख्या का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	सदस्यों की संख्या	दाखिल की गई अपीलें	निपटाई गई अपीलें	लंबित अपीलें
2014	68	46652	29817	100567
2015	95	39748	44644	95669

(ii) निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि नव-सृजित पीठों के चालू होने के बाद से लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं :-

वर्ष	दाखिल की गई अपीलों की संख्या	निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में लम्बित अपीलों की संख्या
2004-2005	57331	78901	137164
2005-2006	45283	73979	108468
2006-2007	43192	65524	86136
2007-2008	44356	59653	70839
2008-2009	40372	55889	55322
2009-2010	41648	49353	47617
2010-2011	44250	36293	55574
2011-2012	42346	33816	64104
2012-2013	43934	33752	74286
2013-2014	46031	31886	88643
2014-2015	45072	30494	103238
2015-2016 (1.1.2016 तक)	**28878**	**36445**	**95669**

(7) लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयास:

(i) सभी न्यायपीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच करें और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्ट करें। इनमें समूह के और छोटे मामले शामिल हैं। बार से भी यह अनुरोध किया गया है कि इस प्रकार के सभी मामलों को बारी से पहले निपटान हेतु पोस्ट करने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के ध्यान में लाया जाए। इसके अतिरिक्त, धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती तथा अपीलों को निपटान के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 10 दिसंबर, 2015 के परिपत्र फा.सं. 279/विविध.142/2007-आईटीजे(पार्ट) के अनुसरण में, राजस्व की 5652 अपीलों का निपटान किया गया जिनमें 10 लाख रुपये तक का कर नियत किया गया था।

एक सदस्य वाले मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2015	1129
फरवरी, 2015	1091
मार्च, 2015	1085
अप्रैल, 2015	3639
मई, 2015	2305
जून, 2015	4380
जुलाई, 2015	3979
अगस्त, 2015	3482
सितम्बर, 2015	3483
अक्टूबर, 2015	3188
नवम्बर, 2015	2833
दिसम्बर, 2015	2590

(ii) धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2015	512
फरवरी, 2015	502
मार्च, 2015	495
अप्रैल, 2015	476
मई, 2015	474
जून, 2015	463
जुलाई, 2015	427
अगस्त , 2015	405
सितम्बर, 2015	359
अक्टूबर, 2015	349
नवम्बर, 2015	315
दिसम्बर, 2015	311

(iii) आरंभ में, सदस्यों के 126 स्वीकृत पदों में से केवल 68 सदस्य कार्य कर रहे थे, और इसीलिए कुछ पीठों के नियमित रूप से कार्य नहीं करने के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। तत्पश्चात, जुलाई से सितंबर, 2015 के दौरान आयकर अपीलीय अधिकरण में 31 नए सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण किया। तदनुसार, अगस्त, 2015 से लंबित मामलों की संख्या कम होनी शुरू हो गई है।

(iv) सदस्यों की अपर्याप्त संख्या के कारण अधिकरण के कई पीठों ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण वादकारियों को कठिनाई हो रही है तथा लंबित अपीलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यह अधिकरण के लिए घोर चिंता का विषय बन गया है । अत: आयकर अपीलीय अधिकरण में न्याय प्रदायन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ई-न्यायालयों/ ई-न्यायपीठों को शुरू करने की जरूरत है । इससे कार्य नहीं कर रहे पीठों में भी काम शुरू हो सकेगा और उनमें लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी । तदनुसार, राजकोट पीठ को अहमदाबाद पीठ से जोड़ा गया है और वहां वीडियो-कानफ्रेंसिंग के जरिये ई-न्यायालय द्वारा अपीलों की सफलतापूर्वक सुनवाई शुरू हो गई है और केवल दो माह के भीतर 300 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने जबलपुर पीठ में एक और ई-न्यायालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

(v) वर्ष 2015 के दौरान, विभिन्न अधिनियमों के अधीन अधिकरण में 39748 अपीलें दाखिल हुईं और अधिकरण ने 44644 अपीलों का निपटान किया, जिससे पता चलता है कि आयकर अपीलीय अधिकरण अपना काम कुशलतापूर्वक कर रहा है क्योंकि निपटान का प्रतिशत 112.32% है । 126 सदस्यों में से 31 सदस्यों की कमी होने के बावजूद, अधिकरण लंबित मामलों की संख्या को कम करने का पूरा प्रयास कर रहा है।

(8) कम्प्यूटरीकरण :

आयकर अपीलीय अधिकरण में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के प्रारंभ में शुरू हुई थी और हाल के वर्षों में अधिकरण की दैनंदिन गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इसमें तेजी आई है । इन वर्षों में अधिकरण द्वारा अपने आदर्श वाक्य 'निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय' को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई हैं।

(9) उपलब्धियां :

(i) **आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना: यह पायलट परियोजना अधिकरण में न्यायिक** प्रशासन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक की

स्थिति तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है । यह परियोजना अधिकरण के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की गई है । आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है । अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं । इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर इन-हाउस लगाया गया है तथा फाइबर ऑप्टिक केबल तकनीक पर एक विशेष तेज गति के 4 एमबीपीएस (1:1) इंटरनेट लीज्ड लाइन से जोड़ा गया है ।

(ii) **आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइट** : आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई है और आम जनता को न्यायिक और सामान्य जानकारी देने के लिए चालू की गई है । इस आधिकारिक वेबसाइट को प्रयोक्ताओं के अधिक अनुकूल बनाने और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक सुग्राही और अद्यतन बनाने के लिए इसका डिजाइन फिर से तैयार किया गया है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्यायिक सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद-सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है । इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट्ट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है । इस वेबसाइट का व्यापक उपयोग हो रहा है और इसकी सराहना हुई है ।

(iii) **एन.आई.सी. ई-मेल** : आयकर अपीलीय अधिकरण के सामान्य प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न पीठों, सदस्यों और अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई-मेल सुविधाओं का उपयोग करता है । सभी पीठों, क्षेत्रों, सदस्यों, रजिस्ट्री के अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों/ निजी सचिवों तथा प्रधान कार्यालय के सभी अनुभागों के लिए एनआईसी ई-मेल खाते बनाए गए हैं । संचार के पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रयोग में आसान, तेज और आर्थिक व पारिस्थितिक दृष्टि से लाभदायक होने के कारण हाल के वर्षों में ई-मेल का प्रयोग उपयोगकर्ताओं के बीच स्वीकृति हासिल कर रहा है और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है ।

(iv) **आधारिक संरचना का उन्नयन** : आयकर अपीलीय अधिकरण को हमेशा से लगता रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर आधारिक संरचना होना जरूरी है । तदनुसार, आयकर अपीलीय अधिकरण चरणबद्ध तरीके से पुराने और अप्रचलित कंप्यूटरों, प्रिंटरों आदि उपकरणों को बदल कर नए उपकरण लाता रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी सदस्यों को कार्यालय प्रयोग के लिए लैपटाप पहले ही दे दिए गए हैं ।

(10) भविष्य की परियोजनाएं

(क) वेब एप्लीकेशन्स का पुनर्विकास और ई-फाइलिंग शुरू करना

(i) आयकर अपीलीय अधिकरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन्स को अधिक सूचना उपयोगी, प्रयोक्ताओं के लिए अधिक अनुकूल और दिशानिर्देशों और मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें रीवैंप करने पर विचार करता रहा है । इसके अलावा, आयकर अपीलीय अधिकरण ने संसदीय राजभाषा समिति को आश्वासन दिया है कि वे अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को पूरी तरह से द्विभाषी बनाएंगे। आयकर अपीलीय अधिकरण अपने आयकर अपीलीय अधिकरण के ऑनलाईन डाटा को नेशनल जूडीशियल रेफरेंस सिस्टम (एनजेआरएस) परियोजना के साथ बांटने के आयकर विभाग के अनुरोध से सहमत हो गया है, जिसके लिए हमें वेब एप्लीकेशन में कुछ प्रावधान करने होंगे ।

(ii) तदनुसार, उपरिलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आयकर अपीलीय अधिकरण ने द्विभाषी परियोजना के पुनर्विकास का कार्य शुरू किया है । आयकर अपीलीय अधिकरण ने इस परियोजना में एक नए माड्यूल सिटीजन टू गवर्नमैंट (सी2जी) माड्यूल अर्थात 'ई-फाइलिंग' को भी शामिल किया है जिससे वादकारी अपने घर से ही अधिकरण के समक्ष अपनी अपील और आवेदन ऑनलाईन दाखिल कर सकते हैं तथा इससे एसएमएस, ईमेल और मोबाइल एप्लिकेशन्स के द्वारा सूचना का प्रसार किया जा सकता है । इस परियोजना में, उचित समय पर न्यायालयों के कामकाज को कागज-विहीन कर देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है ।

(iii) इस परियोजना का विकास एनआईसीएसआई के पैनल में शामिल कार्यदायी एजेंसी को पहले ही सौंप दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पहले ही शुरू की जा चुकी है और वेब-एप्लीकेशन, ई-फाइलिंग मोड्यूल और मोबाइल एप्लीकेशन संभवत: चार से पांच महीने में शुरू कर दिए जाएंगे।

(11) **आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना भवन :** आयकर अपीलीय अधिकरण ने पुणे, बंगलूरू, जयपुर और लखनऊ में कार्यालय-सह-आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ को सीडीए, कटक में कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.601 एकड़ का भू-खंड आबंटित किया है। इन स्थानों पर भवन निर्माण की परियोजनाएं चल रही हैं।

(12) **सदस्यों के लिए सुविधाएं :** माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स के मामले में वर्ष 1998 की विशेष अनुमति याचिका (एल) एमओएस 6905/1998 व टीपी (सी) सं0 659 और 672-673 में दिनांक 19.9.2003 के अपने आदेश में सरकार को यह निदेश दिया था कि आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएं और आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा सदस्यों को उक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है ।

(13) **हितकारी निधि :** आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है । अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इस निधि के संरक्षक हैं । अधिकारी और कर्मचारिवृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(14) **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

यह अधिनियम आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है ।

(15) **राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :**

(i) आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी न्यायपीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ताकि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके ।

हिन्दी में पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति तथा इसके कार्यान्वयन को संबंधित न्यायपीठ द्वारा मॉनीटर किया जाता है और न्यायपीठों की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्टों की आयकर अपीलीय अधिकरण के मुम्बई स्थित मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है । राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिन्दी/हिन्दी टंकण/ हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है

(ii) न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वयन के लिए और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिन्दी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं ।

(iii) राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है ।

(iv) इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है, जो राजभाषा विभाग,भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार कुल पुस्तकालय अनुदान का 50 प्रतिशत तक है।

(v) सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

25. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (ए.टी.एफ.ई.)

विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफ.ई.एम.ए.), 1999 की धारा 18 के अधीन की गई थी। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पारित किए गए या धारा 17 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति या केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिकरण में अपील की जा सकती है। व्यथित व्यक्ति द्वारा यह अपील आदेश प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर और शास्ति की राशि जमा करने के बाद दाखिल की जा सकेगी।

(2) कलैंडर वर्ष 2014 के दौरान यह अधिकरण मात्र 49 मामलों का ही अंतिम निर्णय कर सका था और विभिन्न आवेदनों पर लगभग 69 अंतरिम आदेश पारित किए जा सके थे। तथापि, वर्ष 2015 के दौरान, अधिकरण द्वारा 77 मामलों का निर्णय किया गया है और विभिन्न अंतरिम आवेदनों जैसे कि विलंब संबंधी आवेदनों, पूर्व जमा राशि की छूट, पुन: बहाली आदि पर 165 अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। वर्ष 2015 के दौरान, अधिकरण ने अभी तक के सबसे अधिक निपटान किए हैं और संभवत: यह एकमात्र अधिकरण है, जहां किसी वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या उस वर्ष में दाखिल होने वाले मामलों से अधिक है। यह अधिकरण एक राष्ट्रीय

अधिकरण है, जहां देशभर के वकील, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं, पेश होते हैं। कर्मचारियों और निधि की विकट कमी के बावजूद यह अधिकरण अपने दो नियमित क्रियाशील पीठों के साथ सबसे व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहा है। उपर्युक्त अवधि के दौरान रजिस्ट्री में 76 नए मामले प्राप्त हुए हैं। दिसंबर, 2014 के अंत में लंबित मामलों की कुल संख्या 927 थी। यह भी उल्लेखनीय है कि टैक्समैन और मनुपत्र जैसे विधि के जर्नलों में महत्वपूर्ण आदेश/निर्णय प्रकाशित किए जा रहे हैं। अगले तीन माह में इस अधिकरण का लक्ष्य लगभग 30 मामलों का गुणदोष के आधार पर अंतिम रूप से निर्णय करने का है। यह अधिकरण अपनी एक वेबसाइट बनाने पर भी कार्य कर रहा है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और संभवत: यह वेबसाइट आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगी। पुस्तकालय के प्रस्ताव, कर्मचारियों की पुनर्व्यवस्था, वित्तीय शक्तियां प्रदान करने आदि का काम जारी है।

(3) अधिकरण की संरचना :

अधिकरण की संरचना इस प्रकार है:-

	अधिकारी का नाम	**दूरभाष सं०**
1.	न्यायमूर्ति विनय कुमार माथुर, माननीय अध्यक्ष	011-23316359
2.	डॉ० एच. के. मुदगिल, माननीय सदस्य	011-23738154
3.	श्रीमती शारदा जैन, माननीय सदस्य	011-23711710
4.	श्री जगन्नाथ, सहायक विधि सलाहकार/ पंजीकार, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रथम अपील प्राधिकारी	011-23714281
5.	श्री राकेश कुमार, निजी सचिव, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी	011-23738154

जनवरी, 2015 से दिसंबर, 2015 के वर्ष के दौरान, नई दाखिल हुई और लंबित अपीलों को दर्शाते हुए अंतिम रूप से निपटाए गए मामलों का वार्षिक विवरण (माहवार)

	31.12.2014 के अंत में लंबित अपीलों की कुल संख्या 927 थी (क)	इस अवधि के दौरान दाखिल की गई नई अपीलों की संख्या (ख)	अंतिम रूप से निपटाई गई अपीलों की संख्या (ग)	अवधि के दौरान लंबित अपीलों की कुल संख्या (क+ख)-ग
जनवरी, 2015	927	08	05	935-05=930
फरवरी, 2015	930	03	01	933-01=932
मार्च, 2015	932	15	04	947-04=943
अप्रैल, 2015	943	09	02	952-02=950
मई, 2015	950	19	02	969-02=967
जून, 2015	967	05	02	972-02=970
जुलाई, 2015	970	04	17	974-17=957
अगस्त, 2015	957	02	05	959-05=954
सितंबर, 2015	954	01	01	955-01=954
अक्टूबर, 2015	954	02	06	956-06=950
नवम्बर, 2015	950	08	25	958-25=933
दिसंबर, 2015	933	--	07	933-07=926
कुल		**76(दाखिल हुई)**	**77(निपटाई गई)**	**926**

नोट:- वर्ष 2015 के दौरान अधिकरण द्वारा विभिन्न आवेदनों पर लगभग 165 अंतरिम आदेश भी पारित किए गए हैं।

26. 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस)' के अधीन उठाए गए कदम

(1) शासकीय प्रक्रिया का सरलीकरण :-

प्रशा.IV अनुभाग केंद्रीय सचिवालय सेवा की तीन सेवाओं अर्थात केंद्रीय सचिवालय सेवा(सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा

(सीएससीएस) का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है। प्रशासनिक मामलों के संचालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

(2) **डिजिटल इंडिया -** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) **लिम्ब्स (विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली)**

लिम्ब्स न्यायालयों के मुकदमों की व्यापक, विनियामक ओर सक्रिय निगरानी के लिए एक आसान वेब आधारित उपकरण है।

लिम्ब्स एक वेब-आधारित प्लेटफार्म है, जिसमें भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं वाले सभी प्रयोक्ताओं के लिए और सभी प्रशासनिक स्तरों के लिए एक कॉमन एक्सेस पोर्टल है अर्थात इसमें फाइल प्रस्तुत करने वाले सहायक से लेकर प्रबंधन के शिखर तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है। लिम्ब्स में न्यायालय में चल रहे मुकदमों के विवरण जानने के लिए डाटा-एंट्री स्क्रीन दी गई है जिसे सभी प्रयोक्ता बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुकदमों की प्रगति के बारे में प्रविष्टि की जा सकती है। विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्टों से मुकदमों को मॉनीटर करने में मदद मिलती है। ई-डाक्यूमेंट वॉल्ट में प्रयोक्ता महत्वपूर्ण फैसलों की प्रविष्टि कर सकते हैं। एस.एम.एस. एलर्ट के जरिये प्रयोक्ताओं को महत्वपूर्ण मामलों की सूचना दी जाती है।

लिम्ब्स एप्लीकेशन में एक वृहद डाटा रहेगा, जिसमें विभिन्न पणधारी शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारी इस डाटा के आधार पर निर्णय ले सकेंगे। इसमें सुनवाई के डाटा का पहले से पता चल सकेगा जिससे प्राधिकारी अपने जवाब पहले से तैयार कर सकेंगे।

(ii) **एनडीएसएपी (राष्ट्रीय डाटा भागिता और अभिगम्यता नीति)**

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के पास उपलब्ध मानव द्वारा पढ़ने योग्य तथा मशीन द्वारा पढ़ने योग्य रूप में बांटने योग्य डाटा और सूचना को देशभर में एक नेटवर्क के माध्यम से सक्रिय तौर पर और समय-समय पर अद्यतन करके भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों और नियमों के भीतर उपलब्ध कराना है, ताकि उससे सार्वजनिक डाटा और सूचना तक जनसाधारण की अधिकाधिक पहुंच हो सके और उसका अधिकाधिक उपयोग हो सके।

एनडीएसएपी के लाभ:-

(क) अधिकतम उपयोग
(ख) दोहराव से बचाव
(ग) अधिकतम समेकन
(घ) स्वामित्व की जानकारी
(ड) बेहतर निर्णय लेना

(iii) ई-ऑफिस

ई-ऑफिस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(क) सरकारी कार्रवाई की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार करना।
(ख) प्रतिवर्तन समय को कम करना और नागरिक-चार्टर की मांगों को पूरा करना।
(ग) प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना।
(घ) कार्रवाई में होने वाले विलम्ब को कम करना।
(ड) पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करना।
(च) इस प्रणाली से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होगी।

(3) निर्णय लेने के स्तरों को कम करना - कुछ मामलों में जैसे कि अवकाश की मंजूरी आदि के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

(4) पेंशन मामलों पर ऑनलाइन कार्रवाई - पेंशन मामलों में ऑनलाइन कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।_

27. सतर्कता संबंधी गतिविधियां :-

विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है । सतर्कता एकक का प्रमुख संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी होता है, जिसे मुख्य सतर्कता अधिकारी कहा जाता है और जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है । वर्तमान में सतर्कता एकक के अध्यक्ष श्री दिनेश भारद्वाज, अपर सचिव हैं । इन दोनों विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी

इन दोनों विभागों के सतर्कता ढांचे का केंद्र बिन्दु होता है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

- उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना जहां कदाचार/प्रलोभन की संभावना रहती हो तथा शासकीय कृत्यों के कार्यकरण में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चत करने के लिए रोकथाम के उपाय करना;
- भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई करना ;
- शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के उचित उपाय करना ;
- उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना ;
- केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पणियां केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना ;
- विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा;
- जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण सलाह प्राप्त करना; और
- दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और मात्रा के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना ।

(2) रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रहा। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया गया । दिनांक 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया ।

28. लिंग आधारित मुद्दे :

विभाग द्वारा दोनों विभागों अर्थात विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए गठित शिकायत समिति को, जिसका दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के आदेश सं. 129 के तहत पुनर्गठन किया गया था, वर्ष 2015-16 में भी जारी रखा गया है । इस समय, उक्त समिति की अध्यक्ष विधि कार्य विभाग के केंद्रीय अभिकरण अनुभाग में अपर सचिव श्रीमती सुषमा सूरी हैं । उक्त समिति का कार्य प्राप्त शिकायतों, यदि

कोई हों, का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करना है । इस समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी होती है, जिसे विधि कार्य विभाग के कर्मचारियों के संबंध में सचिव, विधि कार्य विभाग को और विधायी विभाग के कर्मचारियों के संबंध में सचिव, विधायी विभाग को प्रस्तुत किया जाना होता है । उक्त समिति को एक तीसरे पक्ष, या तो किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा किसी अन्य निकाय, जिसे इस विषय की जानकारी अथवा अनुभव हो, को सदस्य के रूप में शामिल करने का भी अधिकार प्राप्त है ।

29. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभ से संबंधित मुद्दे :-

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4.7.1997 के का0 ज्ञा0 सं0 36025/3/97-स्था0 (रिजर्व) के साथ पठित उनके दिनांक 18.2.1997 के आदेश सं0 26035/16/91-स्था0 (एससीटी) के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उप विधि सलाहकार, सहायक विधि सलाहकार, केन्द्रीय सरकारी अधिवक्ता, सहायक सरकारी अधिवक्ता, अधीक्षक (विधि), सहायक (विधि) और कनिष्ठ केन्द्रीय सरकारी अधिवक्ता के पदों को चिह्नित किया गया है, जिन पर निम्नलिखित अशक्तताओं वाले व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने पर विचार किया जाएगा :-

(i) आंशिक रूप से बधिर;

(ii) एक टांग प्रभावित;

(iii) दानों टांगे प्रभावित; लेकिन बांहें प्रभावित नहीं;

(iv) एक बांह प्रभावित (बायीं या दायीं)

(क) विकृत पहुंच;

(ख) कमजोर पकड़;

(ग) गतिविभ्रमता;

(2) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के लिए 100 बिंदुओं वाला एक रोस्टर रखा गया है ।

(3) दिनांक 1.1.2016 की स्थिति के अनुसार, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध-IV** में दिया गया है ।

30. विधि और न्याय मंत्रालय में महिला कर्मचारियों की संख्या का विवरण **उपाबंध-V** में दिया गया है।

31. विधि कार्य विभाग

दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान अधिकारियों के विदेश दौरों का विवरण:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	देश	अवधि	दौरे का प्रयोजन
1.	श्री पी.के.मल्होत्रा	विधि सचिव	न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	02 से 06 फरवरी, 2015	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के 62वें सत्र में भाग लेना।
			दोहा, क़तर	12-13 अप्रैल, 2015	13वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और दांडिक न्याय कांग्रेस में भाग लेना।
			सैंट पीटर्सबर्ग (रूस)	27-30 मई, 2015	5वें सैंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेना।
			वियना, आस्ट्रिया	29 जून से 3 जुलाई, 2015	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के 48वें वार्षिक सत्र में भाग लेना।
			लंदन, यूनाइटेड किंगडम	4 से 6 नवंबर, 2015	विधि के क्षेत्र को विदेशी वकीलों के लिए खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
2.	श्री सुरेश चंद्र	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	अल्जीयर्स, अल्जीरिया	10-12 मई, 2015	भारत और अल्जीरिया के बीच सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एम.ए.एल.टी.) को अंतिम रूप देने के संबंध में चर्चा में भाग लेना।
3.	श्री इन्द्र कुमार	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	सिंगापुर	23-24 अप्रैल, 2015	माल की अंतरराष्ट्रीय बिक्री (सीआईएसजी) संबंधी संयुक्त राष्ट्र कंवेंशन के 35वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेना।
4.	श्रीमती जोया हाइके	संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	सिंगापुर	26-30 अक्टूबर, 2015	विवाद समाधान प्रणालियों पर एस.सी.पी.टी.ए. पाठ्यक्रम में भाग लेना।
5.	श्री मोहम्मद शरीफ तारिक	संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	आस्ट्रिया (वियना)	7 से 11 सितंबर, 2015	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के अधीन कार्यकारी समूह-II (माध्यस्थम और सुलह) के 63वें सत्र में भाग लेना।
6.	श्री एम. खंडेलवाल	अपर सरकारी अधिवक्ता	सैंट पीटर्सबर्ग, रूस	27 से 30 मई, 2015	5वें सैंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेना।

7.	श्री आर. के. श्रीवास्तव	उप विधि सलाहकार	आस्ट्रिया (वियना)	7 से 11 सितंबर, 2015	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के अधीन कार्यकारी समूह-II (माध्यस्थम और सुलह) के 63वें सत्र में भाग लेना।
8.	डॉ. आर. जे. आर. काशीभाटला	उप विधि सलाहकार	वियना, आस्ट्रिया	6-7 जनवरी, 2015	भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सम्पर्क समूह की दूसरी बैठक में भाग लेना।
			लंदन, यूनाइटेड किंगडम	21 जनवरी, 2015	भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सम्पर्क समूह की तीसरी बैठक में भाग लेना।
			ओटावा, कनाडा	9-15 अप्रैल, 2015	भारत-कनाडा द्विपक्षीय निवेश संधि के पाठ पर वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ।
			वियना, आस्ट्रिया	1-5 जून, 2015	भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कंवेशन (यूएनसीएसी) के कार्यान्वयन समीक्षा समूह (आईआरजी) की बैठक के छठे सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ।
			पेरिस (फ्रांस)	15-17 अक्टूबर, 2015	भ्रष्टाचार विरोधी समूह की तीसरी बैठक और भ्रष्टाचार पर जी-20 एसीडब्लूजी /एफएटीएफ विशेषज्ञों की पांचवीं बैठक में भाग लेना।
			सैंट पीटर्सबर्ग (रूस)	2 से 4 नवंबर, 2015	अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर खुले अंतरसरकारी विशेषज्ञ बैठक के चौथे सत्र और कार्यान्वयन समीक्षा समूह की छठी बैठक में भाग लेना।
9.	श्री वाई. के. सिंह	उप विधि सलाहकार	लंदन, यूनाइटेड किंगडम	4-6 नवंबर, 2015	विधि के क्षेत्र को विदेशी वकीलों के लिए खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
10.	श्री राघवेन्द्र सिंह श्रीनेत	सहायक विधि सलाहकार	हांगकांग	26-29 अक्टूबर, 2015	यूएनसीआईटीआरएएल-एशिया प्रशांत न्यायिक सम्मेलन में भाग लेना।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विधि कार्य विभाग में दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 से 17 सितंबर, 2015 तक चलाई गई गतिविधियां

क्र.सं.	गतिविधियां
1.	विधि कार्य विभाग में स्वच्छ भारत अभियान दिनांक 26.9.2014 को शुरू हुआ। इस दिन माननीय विधि और न्याय मंत्री जी ने शास्त्री भवन परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर इसका शुभारंभ किया और विधि सचिव ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।
2.	श्री सुरेश चंद्र, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार को नोडल अधिकारी के तौर पर नामित किया गया।
3.	दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को प्रात: 09.45 बजे विधि सचिव द्वारा विधि कार्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 'स्वच्छता की शपथ' दिलाई गई। विजय चौक/राजपथ पर आयोजित प्रधानमंत्री की स्वच्छता रैली में बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। विभाग के शाखा सचिवालयों और दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालयों से भी स्वच्छ भारत अभियान पर शपथ लिए जाने की रिपोर्ट मिली है।
4.	नोडल अधिकारी द्वारा शास्त्री भवन की भवन समन्वय समिति के साथ निकट समन्वय करके विभाग में स्वच्छता अभियान की नियमित मॉनीटरिंग की जाती है तथा दिनांक 15.10.2014 को उन्होंने उक्त समिति की बैठक में भी भाग लिया।
5.	चालू स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में दिनांक 19.11.2014 को 'विश्व शौचालय दिवस' मनाया गया और शास्त्री भवन में चतुर्थ तल, 'ए' विंग के कॉरिडोर में वाशरूम के कोने में डस्टबिन रखवाई गई है तथा विधि कार्य विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत साफ-सफाई रखने तथा जन-सुविधाओं के उचित प्रयोग के बारे में जागरूक करने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया गया।
6.	कार्य स्थलों की नेमी सफाई, पुराने और काम में न आने वाले रिकार्ड और फाइलों की छंटाई का काम और तेजी से किया गया तथा इस बारे में काफी सुधार नजर आया। गलियारों और शौचालयों की साफ-सफाई की नियमित रूप से जांच की जाती है।

7.	शाखा सचिवालय, कोलकाता में दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छता की शपथ ली गई और कार्यालय परिसर में सफाई की गई। वहां हर दूसरे शनिवार को सफाई अभियान चलाया जाता है।
8.	दिसंबर, 2014 में पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग के नवीकरण तथा पुस्तकालय की 1607 पुरानी किताबों की नीलामी/छंटाई का काम पूरा हुआ। मार्च, 2015 में शास्त्री भवन के चतुर्थ तल में बंदरों को घुसने से रोकने के लिए मजबूत ग्रिल फेंसिंग और दरवाजे लगाने का काम पूरा हुआ।
9.	शास्त्री भवन परिसर में पड़े पुराने और अप्रयुक्त वाहनों को प्रक्रिया के अनुसार हटाया गया/नीलाम कर दिया गया।
10.	मुख्य सचिवालय और शाखा सचिवालयों में स्वच्छ भारत अभियान के अधीन अनुकरणीय कार्य और पहल के लिए अनुभाग/शाखा/कार्यालय स्तर पर पुरस्कार देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लागू करने का भी सिद्धांत रूप में निर्णय लिया गया। इसमें एक पुरस्कार (नकद या वस्तु रूप में) और प्रशंसा-पत्र दिया जा सकता है। इस बारे में अधिकारियों के एक दल द्वारा पुरस्कार का स्वरूप और प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है और उनके प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
11.	किराए पर लिए गए पुराने और लीक कर रहे लगभग 45 एयर कंडीशनरों (स्प्लिट और विंडो) को बदलकर उनकी जगह नए एसी लगाए गए हैं। 35 पुराने कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों को भी बदला गया है और नए कंप्यूटर लगाए गए हैं।
12.	इस विभाग के तीस हजारी न्यायालय स्थित परिसर में पड़े पुराने फर्नीचर और अन्य अनावश्यक पुराने सामान को दिनांक 25 जुलाई, 2015 को नीलाम कर दिया गया।
13.	शास्त्री भवन में इस विभाग के पुराने फर्नीचर और कार्यालय उपकरणों को अगस्त 2015 के अंतिम सप्ताह में नीलाम कर दिया गया। गैराज सं. 26 का नवीकरण पूरा किया गया जिसका उपयोग अक्टूबर, 2015 के प्रथम सप्ताह से राजभाषा एकक द्वारा किया गया।
14.	रिकार्ड कक्ष के कुछ हिस्से को खाली करके वहां एक सम्मेलन कक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा जाना है, जिस पर कार्रवाई चल रही है। इसके लिए लघु शीर्ष और रखरखाव शीर्ष के अधीन निधि उपलब्ध है।
15.	बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली (बीएएस) के पुराने चार्जरों की जगह नए चार्जर लगाए गए हैं।

संविधान दिवस

हमारे संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 26 नवंबर, 2015 को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारत के संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया और भारत के संविधान के विषय में भाषण/वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता**,
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**